समाहरणालय, शेखपुरा
(कार्यालय जिला निर्वाचन)

अल्पकालीन निविदा सूचना

शेखपुरा जिला अन्तर्गत 2 (दो) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 169– शेखपुरा एवं 170– बरबीघा का फोटो मतदाता सूची का पुनरीक्षण/संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं सतत् अद्यतीकरण कराये जाने/श्याम एवं श्वेत मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत नये विस्तृत दिशा निदेश के आलोक में रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र पी0भी0सी0 शीट पर रंगीन छायाचित्र के साथ निर्माण कराये जाने एवं मुद्रण के लिये दर निर्धारण हेतु अनुभवी एवं इच्छुक फर्म से द्विलिफाफ पद्धति में मोहर बंद निविदा **दिनांक – 07/07/2017** के अपराह्न 02:30 बजे तक आमंत्रित किया जाता है एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। क्रय समिति के समक्ष निविदादाता स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।

निविदा के संबंध में विहित प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट http://sheikhpura.bih.nic.in पर देखा जा सकता है या किसी भी कार्यालय दिवस/कार्यावधि में जिला निर्वाचन कार्यालय, शेखपुरा से सम्पर्क किया जा सकता है। सभी कार्यो के लिये निविदादाता को जिला निर्वाचन कार्यालय, शेखपुरा द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में दर देना होगा अन्यथा निविदा अमान्य हो जायेगा। जिसे जिला निर्वाचन कार्यालय, शेखपुरा में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा निर्धारित तिथि/समय तक जिला निर्वाचन कार्यालय, शेखपुरा में दिया जा सकता है

निर्धारित तिथि को निविदा का निष्पादन नहीं होने की स्थिति में पुनः निविदा निष्पादन की तिथि अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट http://sheikhpura.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह– जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा

(क) *निविदा की सामान्य शर्तेः–*

1. तकनिकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफ अलग – अलग होना आवश्यक है। कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र (Annexure -I & Annexure - II) में दिया गया निविदा मान्य होगा।
2. बगैर कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, संशोधन करने, कार्यहित एवं समय सीमा को देखते हुये न्यूनतम दर पर कार्य एक से अधीक भेंडरों में बाँटने एवं समझौता का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
3. फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण कार्य के लिये एक ही सर्विस प्रोवाइडर/वेण्डर का चयन किया जायेगा। बिहार एवं स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अनुभवी सर्विस प्रोवाइडर/वेण्डर को प्राथमिकता दी जायेगी।

4. सभी कार्य ERMS/ ERO Net/ अथवा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में उपलब्ध कराये गये सॉफ्ट वेयर के माध्यम से कराया जायेगा।
5. निविदादाता फर्म को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनकी फर्म और प्रोपराईटर पर न्यायालय में किसी तरह का मुकदमा नहीं चल रहा है।
6. निविदादाता फर्म को काली सूची में दर्ज नहीं होने का स्वलिखित शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता यदि Limited/Private Limited Company है तो उसे Company Act 1956 अंतर्गत निबंधित होना चाहिये। निविदादाता को Consortium होना मान्य नहीं होगा।
8. चयनित फर्म को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी, शेखपुरा के द्वारा निर्धारित शर्तो/दिशा– निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
9. निविदा के साथ संलग्न की जाने वाली कागजात निविदा जमा करते समय संलग्न रहना चाहिये। बाद में कागजात जमा करने संबंधी किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
10. चयनित वेंडर को किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
11. चयनित वेंडर द्वारा कार्यादेश के बाद कार्य नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई Earnest Money जब्त कर ली जायेगी और उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तें:–

1. निविदा दाता फर्म को बिहार वाणिज्य कर (VAT),सेवाकर, लघु उद्योग एवं बिहार Shop & Establishment Act के अन्तर्गत कम से कम पाँच वर्षो से बिहार में निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा वाणिज्य कर (VAT) एवं सेवा कर (Service Tax)जमा करने की अद्यतन विवरणी संलग्न करनी होगी। GST लागू होने पर GST में निबंधन अपरिहार्य होगा तथा GST का दर अनुमान्य होगा।
2. आयकर संख्या का प्रमाण पत्र के साथ विगत तीन वित्तीय वर्षो (2013–14, 2014–15 एवं 2015–16) का Audit Report, Balance sheet प्रति वर्ष तीन करोड़ टर्नओवर से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. फर्म को EPFO (Employees Provident Fund Organization) एवं ESIC (Employees State Insurance Company) के अंतर्गत कम से कम तीन वर्षो का निबंधित होना अनिवार्य होगा। साथ ही निविदादाता फर्म को इस कार्य हेतु सक्षम तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता संबंधी पूर्ण विवरणी नाम, योग्यता के साथ देनी होगी। कर्मी Company/Firm के Payroll पर कार्यरत है इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
4. फार्म का ISO 9001:2008 एवं ISO 9001:2015 का निबंधन अनिवार्य होना चाहिए।
5. निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में रू0 25,000/–(रू0 पच्चीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रियकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, शेखपुरा के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।
6. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र एनेक्सचर –1 एवं एनेक्सचर –2 में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
7. निविदादाता फर्म को फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण तीन वर्षो का कार्य करने को अनुभव एवं चार जिला का अनुभव हेतु ईपिक एवं PER निर्माण कार्य संबंधी प्रमाण पत्र या एकरारनामा की प्रति संलग्न करनी होगी। सब कॉन्ट्रेक्ट के अधीन किया गया कार्य अनुभव के श्रेणी में मान्य नही होगा।
8. आवंटित कार्य के सब कॅन्ट्रेक्टिंग की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का Under taking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। कार्य निष्पादन के क्रम में सब कॅन्ट्रेक्टिंग

पाये जाने पर कार्यादेश वापस लेते हुये जमा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये फर्म पर कानुनी कार्रवाई की जायेगी।

9. निविदादाता फर्म के पास फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना का विवरण यथा कम्प्यूटर, जेनरेटर, यू0पी0एस0, उच्च कोटि एवं हाई स्पीड प्रिंटर्स आदि की उपलब्धता से संबंधित स्वामित्व प्रमाण पत्र तथा उनकी संख्या सहित पूर्ण विवरणी भी देना होगा। उपलब्ध दिखाये गये संसाधन की समीक्षा/भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही कार्यादेश देने पर विचार किया जायेगा।
10. फर्म द्वारा प्रयुक्त सिस्टम में अनुज्ञप्ति प्राप्त (License) Operation System एवं Anit Virus Software का प्रयोग करना होगा तथा इस संबंध में शपथ – पत्र देना होगा।
11. निविदादाता को लेजर प्रिंट हेतु Orginal Tonner का प्रयोग करना होगा तथा ए4 साईज सेन्चुरी 75 g/m^2 पेपर का ही प्रयोग करना होगा।
12. राज्य की Electoral Roll Management System के EPIC Module के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये Software अथवा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये Software को छोड़कर वेण्डर को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य Software के माध्यम से ईपिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा पेपर प्रिन्टेड ब्लैक एण्ड वाईट ईपिक के लिए निर्धारित किया गया स्वरूप एवं विशिष्टियाँ निम्नवत् है :–
    a) फोटो पहचान पत्र का आकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित है एवं यह 8.4 से0मी0 लम्बाई x 5.0 से0मी0 चौड़ाई का होना चाहिये। छायाचित्र 320x240 पिक्सल स्पष्टाता (resolution) एवं 2.4 से0मी0 उंचाई x 1.8 से0मी0 चौड़ाई के आकार का होना चाहिये जिसमें छायाचित्र का 75% भाग सामने से लिये गये निर्वाचक के चेहरे से आच्छादित हो।
    b) आयोग के दिशा – निर्देशों के अनुसार ईपिक की छपाई में प्रयुक्त होने वाला कागज 165 जी0एस0एम0 से कम नहीं होना चाहिये। जहाँ कागज की एक ओर ही छपाई कर एवं उसे मोड़कर ईपिक तैयार किया गया हो, वहाँ प्रयुक्त किया गया कागज 80 जी0एस0एम0 से कम का नहीं होना चाहिये।
    c) ईपिक के लेमिनेशन में प्रयोग की जाने वाली पॉलिएस्टर परत की मोटाई कम –से– कम 125 माईकॉन होनी चाहिए।
14. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा PVC Sheet पर रंगनी ईपिक कार्ड का स्वरूप एवं विशिष्टियाँ निम्न प्रकार हैः–
    a) Card Type: All New Cards will be printed on PVC sheet with Color Photograph.
    b) Card Size: 8.6 cm Vertical and 5.4 cm horizontal.
    c) Thickness: 0.6mm to 0.8mm
    d) Lamination: 60 microns overlay.
15. मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्वाचक डाटावेस में संधारित डिजिटल छायाचित्रों (jpeg format में) के माध्यम से निर्मित किये जायेंगें। छायाचित्र का आकार एवं विशिष्टियाँ संक्षेप मे निम्नवत् हैः–
    a) Size of Photograph- 3.2cm(Vertical) x 2.4cm(horizontal)
    b) Resolution – 320x240pixels
    c) High quality photographs in color and in portrait mode which shall show a close-up of the applicat's head and the top of the shoulders. The face shall take 75% of the vertical dimenstion of the picture.
16. नये एवं डुप्लीकेट ईपिक का अलग– अलग मिनियेचर शीट ए4 साईज के कागज पर (दोनों तरफ) पर 80 – 100 मतदाता फोटो पहचान पत्र के मिनियेचर मुद्रित किया जायेंगें जिन्हें उच्च गुणवता के

पलास्टिक शीट से लेमिनेट किया जायेगा। यह मिनियेचर शीट मतदान केन्द्रवार की जायेगी एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मिनियेचर शीट एक फोल्डर में रखी जायेगी।

17. फर्म को सभी कार्य जैसे– डाटा ईट्री, Internet Connectivity, लेजर प्रिंटिंग, फोटो पहचान पत्र निर्माण, आदि हेतु आवश्यक संससाधन यथा विद्युत/जेनरेटर आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। शेखपुरा जिला मुख्यालय के सरकारी भवन में कमरा खाली रहने पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। अन्यथा उन्हें समाहरणालय के आस – पास भाड़े के मकान में स्वंय के खर्च पर कार्य संपन्न कराना होगा।
18. कार्य समाप्ति के बाद निर्वाचन से संबंधित सभी सम्पूर्ण डाटा अपने कप्यूटर से पदाधिकारी के देख–रेख में हटाना होगा।
19. मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र में उपर्युक्त उक्त कागज एवं पोलिस्टर फिल्म का नमुना निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
20. वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर एवं मुहर के पाये जाने पर उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।
21. निविदादाता फर्म को फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र का कम से कम चार जिलों में 2014–15, 2015–16 एवं 2016 – 17 तीन वर्षों का कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव हेतु संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्गत कार्यादेश/अनुभव प्रमाण – पत्र/एकरारनामा की प्रति संलग्न करनी होगी। सबकॉन्ट्रेक्ट के अधीन किया गया कार्य अनुभव की श्रेणी में नहीं माना जायेगा।

(ग) <u>*वित्तीय निविदा की शर्तें:–*</u>

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म को ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. वित्तीय निविदा में फोटो निर्वाचक सूची/मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण से संबंधित दर सभी करों सहित निर्धारित प्रपत्र में देना होगा।
3. सफलता पूर्वक निष्पादन के उपरान्त भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती कर ली जायेगी।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई करते हुये जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
5. उपरोक्त शर्त्तो के अलावे समय–समय पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित शर्त्तो/निर्देशो का अक्षरशः पालन करना होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह– जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा

ज्ञापांक 531 /निर्वा0 **शेखपुरा, दिनांक 21 / 06 /2017**

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त निविदा की तीन हार्ड प्रति एवं एक सॉफ्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि इसे राज्य मे प्रचलित दो हिन्दी समाचार पत्रों एवं एक उर्दू समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/जमुई/लखीसराय/बेगूसराय/खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः— उप विकास आयुक्त, शेखपुरा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। इसे अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता, शेखपुरा/वरीय कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/प्रबंधक, जिला उद्योग, शेखपुरा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, शेखपुरा/जिला कल्याण पदाधिकारी, शेखपुरा/प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं निर्धारित तिथि एवं समय पर जिला क्रय समिति के बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि उक्त निविदा सूचना को शेखपुरा जिला के वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
—सह— जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा

D:\Sawan 2017\Tender 2017\ Tender for Electoral roll
By:- Sawan